

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक:-25 (9)साप्र. 4 / 2013

जयपुर दिनांक 9/1/17

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.22(1) सा.प्र./4/91 दिनांक 30.06.2005 एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग के आदेश क्रमांक प.1(16)सा.प्र./5/2009 दिनांक 11.02.2013 के अतिक्रमण में राजस्थान स्थित विश्राम भवनों (जयपुर को छोड़कर) के समस्त उपापन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है:-

1	जिला कलक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि जो ए.डी.एम. स्तर से कम न हो	अध्यक्ष
2	संबंधित जिलों का कोषाधिकारी	सदस्य
3	संबंधित जिले का अधिशाषी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता सिटी डिवीजन	सदस्य
4	संबंधित जिले का प्रबंधक, विश्राम भवन	सदस्य सचिव
5	संबंधित विश्राम भवन का वरिष्ठ हाउस कीपर (जहां पद स्थापित हो)	सदस्य

विश्राम भवनों से संबंधित समस्त उपापन कार्य उक्त कमेटी द्वारा लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना करते हुए किया जावेगा।



(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त कोषाधिकारी।
5. निजी सचिव, मंत्री महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन (जयपुर को छोड़कर)/ट्रांजिट हॉस्टल जयपुर।



संयुक्त शासन सचिव (क)